

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)**

क्रमांक :- 715

दिनांक :- 14/9/23

**॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥**


इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 585 दिनांक 02.09.2023 में अपरिहार्य कारणों से संशोधन किया जाकर दिनांक 17.09.2023, दिनांक 19.09.2023 व दिनांक 28.09.2023 के राजकीय अवकाशों के लिए निम्न अधिकारीगण को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1.	संयोगिता गहलोट न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	9636810008	17.09.2023 19.09.2023
2.	प्रशांत पूनिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	9829175166	28.09.2023

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस से पूर्व दिवस को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे।


उक्त इयूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इयूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)  
दिनांक :- 14/9/23

क्रमांक :- 716-737

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई/टोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक